

mail

!! कार्यालय : जिला एवं सेशन न्यायाधीश, अलवर !!

क्रमांक : स्था./2025/ 11483

दिनांक : 27 MAR 2025

-: आ दे श :-

इस कार्यालय द्वारा जारी आदेश क्रमांक स्था./2024/41139 दिनांक 13.11.2024 की निरन्तरता में नवसृजित महिला थाना खैरथल से उद्भूत होने वाले सेशन प्रकरणों/जमानत आवेदन पत्रों/फौजदारी अपीलों एवं निगरानियों की विधि अनुसार सुनवाई एवं निस्तारण का क्षेत्राधिकार अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सं. 1, किशनगढबास को दिया जाता है।

sd

(हरेन्द्र सिंह)

जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
अ ल व र

क्रमांक : स्था./2025/ 11484-93

दिनांक : 27 MAR 2025

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1- माननीय रजिस्ट्रार जनरल महोदय, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर को सूचनार्थ।
- 2- अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या-1, किशनगढबास/संख्या-2 किशनगढबास।
- 3- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अलवर।
- 4- अति० मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-1 किशनगढबास/संख्या-2 किशनगढबास।
- 5- सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, किशनगढबास।
- 6- जिला पुलिस अधीक्षक, खैरथल-तिजारा।
- 7- अध्यक्ष, अभिभाषक संघ, किशनगढबास।
- ✓ 8- सिस्टम ऑफिसर को जिला एवं सेशन न्यायालय, अलवर की वेबसाईट पर अपलोड करने एवं सम्बंधित न्यायालयों को ई-मेल करने हेतु।

sd

(हरेन्द्र सिंह)

जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
अ ल व र